कुमारी अनुज्ञा पत्र संख्या :–05/2010

/01/2025 मुद्रांक वैल्यू क्र.सं. 5DX/252

विक्रेता के हस्ताक्षर मनीषा

श्रीमती मनीषा कुमारी
स्टाम्प विक्रेता ला.नं.05/2010
श्रीगंगानगर (राज.)

(अनवान अन्जू मित्तल वनाम आनन्द कुमार
राजस्व वाद संख्या :– 231/2023)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– **रणजीत कुमार** आर.ए.एस.

अनवान :– **राजस्व वाद संख्या 231/2023**

1. श्रीमती अन्जू मित्तल पत्नी श्री विनोद कुमार जाति धवन जन्मतिथी 01/02/1970 निवासी 1/61 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल आबाद 66 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज0)
2. श्रीमती रीटा मित्तल पत्नी श्री हरी प्रसाद जाति धवन निवासी 1/61 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल आबाद 4 एफ 30, संजीवनी पार्क के पास, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. आनन्द कुमार पुत्र श्री रामसहाय
2. गाडू पुत्र श्री मानाराम
3. श्रीमती गीता रावल पत्नी श्री मदन रावल
4. मनफूल पुत्र श्री मानाराम
5. रणजीत पुत्र श्री मानाराम

(1 से 5 एवं 6–7) जाति धवन निवासीयान मकान नं. 1/61, सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर

6. अनिल जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द्र
7. सुदर्शन जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द्र

(6–7) जाति जैन निवासीयान पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 3
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी–8

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.01.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 5 ई छोटी पटवार हल्का 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 81/91 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1/1 (0.230 हे.), 2 से 15 (प्रत्येक में 0.253 हे.),16/1(0.226 हे.), 17 से 23 (प्रत्येक में 0.253 हे), 24, 25 (प्रत्येक में 0.252 हे.)= 6.273 हे. नहरी, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 से 2(प्रत्येक में 0.228 हे.)= 0.456 हे. नहरी कुल 6.729 हे. नहरी कृषि भूमि में से वादीया संख्या 1 अन्जू पत्नी विनोद कुमार के नाम 38/2243 हिस्सा यानि 0.114 हे.. वादीया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 रीटा पत्नी हरीप्रसाद के नाम 38/2243 हिस्सा यानि 0.114 है, प्रतिवादी संख्या 1 आनन्द कुमार पुत्र रामसहाय के नाम 23/6729 हिस्सा यानि 0.023 है. प्रतिवादी संख्या 2 गाडू पुत्र मानाराम के नाम 2075/6729 हिस्सा यानि 2.075 है. प्रतिवादी संख्या 3 गीता रावल पत्नी मदन रावल के नाम 76/2243 हिस्सा यानि 0.228 है, प्रतिवादी संख्या 4 मनफूल पुत्र मानाराम के नाम 692/2243 हिस्सा यानि 2.076 है. प्रतिवादी संख्या 5 रणजीत पुत्र मानाराम के नाम 692/2243 हिस्सा यानि 2.076 है., प्रतिवादी संख्या 6 अनिल जैन पुत्र कैलाश चन्द्र के नाम 23 / 13458 हिस्सा यानि 0.0115 है., प्रतिवादी संख्या 7 सुदर्शन जैन पुत्र कैलाश चन्द्र के नाम 23/13458 हिस्सा यानि 0.0115 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित चक 5 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 81/91 के मुरब्बा नम्बर 16 व 26 की कुल 6.729 है. नहरी कृषि भूमि के खातेदार सहकाश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपनी काश्त में सहूलियत के लिए अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार बंटवारा करके काबिज काश्त है:-

अन्जू मित्तल पत्नी श्री विनोद कुमार जाति धवन निवासी 1/61 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल आबाद 66 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज0) एवं रीटा मित्तल पत्नी श्री हरी प्रसाद जाति धवन निवासी 1/61 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर हाल आवाद 4 एफ 30, संजीवनी पार्क के पास, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज0) ब: हिस्सा बराबर

चक 5 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 81/91 के मुरब्बा नम्बर 16 व 26 की कुल 6.729 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताविक में से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 की 0.228 है. नहरी

आनन्द कुमार पुत्र रामसहाय 0.023 है. गाडू पुत्र मानाराम 2.075 है., गीता रावल पत्नी मदन रावल 0.228 है., मनफूल पुत्र मानाराम 2.076 है. रणजीत पुत्र मानाराम 2.076 है, अनिल जैन पुत्र कैलाश चन्द्र 0.0115 है., सुदर्शन जैन पुत्र कैलाश चन्द्र 0.0115

चक 5 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 81/91 के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1/1(0.230 है.), 2 से 15 (प्रत्येक में 0.253 है). 16/1 (0.226 है.), 17 से 23(प्रत्येक में 0.253 है.), 24, 25(प्रत्येक में 0.252 है.) = 6.273 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 की 0.228 है. नहरी कुल 6.501 है.नहरी कृषि भूमि

अन्जू मित्तल वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 पारस्परिक सहमति से किए गए बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के विगत कई वर्षो से काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उक्त बंटवारा एवम् कब्जा काश्त को नजर अन्दाज करके मनमाना रवैया अपना कर उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय करने की फिराक में है । यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हुए तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादीगण द्वारा अपनी काश्त हेतु बनाई गई आवश्यक सुविधाओ से भी वादीगण वंचित हो जायेंगे। इस बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को प्राप्त हुई कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त पारस्परिक सहमति अनुसार किए गए बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई कृषि भूमि वादीगण के नाम अलग से दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को राजस्व/लगान अदा करने व अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने में बाधा कारित हो रही है इसलिए वादीगण अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को, अपने नाम अलग से दर्ज करवाने व राजस्व/लगान अलग से कायम करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

से 7 को सहमत होकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू दिनांक 10 / 09 / 2023 को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल हो गये है, यही विनाय मुखास्मत है । वादीगण के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वादीया संख्या 1 का कृषि भूमि के रिकार्ड में नाम " अन्जू" अंकित है जबकि आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम "अन्जू मित्तल" अंकित है जबकि अन्जू एवं अन्जू मित्तल वादीया संख्या 1 का ही नाम है तथा एक ही महिला है इसी प्रकार वादीया संख्या 2 का कृषि भूमि के रिकार्ड में नाम "रीटा" अंकित है जबकि आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम " रीटा मित्तल " अंकित है जबकि "रीटा एवं रीटा मित्तल " वादीया संख्या 2 का ही नाम है तथा एक ही महिला है इस आशय का शपथ पत्र भी वाद पत्र के साथ संलग्न है यदि भविष्य में उक्त नाम की बाबत कोई आपति या जवाबदेही होती है तो उसके लिए वादीगण हर प्रकार से उत्तरदायी रहेगे। राजस्व रिकार्ड एवं आधार कार्ड में नाम की एकरूपता किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।प्रतिवादी संख्या 8 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि चक 5 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 81 / 91 के मुरब्बा नम्बर 16 व 26 की कुल 6.729 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 की 0.228 है. नहरी कृषि भूमि वादीगण की बः हिस्सा बराबर बराबर का अलग लगान कायम किया जावे एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का अलग लगान कायम किया जावे।

(ख) उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 की तलबी साधारण सम्मन से ना होने के कारण वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 की तलबी जरिए समाचार पत्र करवाये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 की तलबी जरिए समाचार पत्र करवाये के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद इस हद तक स्वीकार किया जावे कि चक 5 ई छोटी मुरबा नम्बर 26 के किला नं. 1 वादीया के नाम दर्ज किया जावे तथा मुरबा नम्बर 26 के किला नम्बर 2 प्रतिवादी संख्या 3 गीता राव पत्नी मदन रावल के नाम किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 का काउंटरक्लेम स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादीगण द्वारा वाद विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण के हिस्सा की भूमि का विभाजन किया जाना है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 5 ई छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 81/91 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी है जिसमें वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने का अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 धारा 151 सी.पी.पी. प्रस्तुत किया गया जिससे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.06.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादीगण एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुतकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। अतः वादी वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 3 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसान निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वादी एवम् काउंटरक्लेम प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 3 को तहसीलदार श्रीगंगानगर के अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	अन्जू मित्तल पत्नी विनोद कुमार 0.114 हैक्ट, रीटा मित्तल पत्नी हरी प्रसाद 0.114 हैक्ट जाति अग्रवाल निवासी 66 एन ब्लॉक, 4 एफ 30 जवाहर नगर श्रीगंगानगर	चक 5 ई छोटी के मुरबा नम्बर 26 के किला नं. 01(0.228) कुल 0.228 हैक्टर नहरी
२.	गीता रावल पत्नी मदन लाल जाति धवन निवासी सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर	चक 5 ई छोटी के मुरबा नम्बर 26 के किला नं. 02(0.228) कुल 0.228 हैक्टर नहरी
	शेष खाता मु.नं. 16 किला नं. 1/1 ता 25 कुल 6.273 हैक्टर नहरी बदस्तूर रहेगा।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

([illegible]
राजस्व वाद संख्या - 231 / 2023)

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 02.01.2025 को जारी किया गया।

(राजेन्द्र [illegible])
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)